



ब अदालत अंचल अधिकारी, मधुपुर (देवघर) पंजी-II फोरम संख्या- 562  
आदेश फलक

(अभिलेख हस्तकाय नियम- 129)

नमांतरण बाद सं० :- 514/16-17

अंचल- मधुपुर जिला- देवघर थाना- मधुपुर मौजा- जोरागो

तिथि	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं हस्ताक्षर	कार्यवाही												
1	2	3												
7.3.17	<p>अभिलेख उपस्थित प्रस्तुत वाद आवेदन कार्यपालक अभियंता सिचाई प्रमण्डल जसीडीह शिविर, देवघर जिला- देवघर द्वारा दलित आवेदन पत्रांक- 33 दिनांक 23.01.2017 द्वारा प्राप्त किया गया। आवेदक पुनासी जलासय योजना हेतु वन भुमि अपयोजन के सापेक्ष क्षतिपुरक गैर बन भुमि का नामांरण राज्य वन विभाग झारखण्ड सरकार के पक्ष में करने का अनुरोध किया है।</p> <p>नामांरण हेतु आवेदित भुमि का विवरणी निम्न प्रकार है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा का नाम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता सं०</th> <th>दाग नं०</th> <th>रकवा</th> <th>किस्म</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जोरागो</td> <td>138</td> <td>20</td> <td>550,570 ,539</td> <td>6.00+2.00+ 2.00=10.एकड</td> <td>परती कदीम</td> </tr> </tbody> </table> <p>इल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन मांगे। अभिलेख दिनांक 14.3.17 को प्रप्त करें।</p> <p>लेखापित।</p> <p>अंचल अधिकारी, मधुपुर।</p> <p>अंचल अधिकारी, मधुपुर।</p>	मौजा का नाम	थाना नं०	खाता सं०	दाग नं०	रकवा	किस्म	जोरागो	138	20	550,570 ,539	6.00+2.00+ 2.00=10.एकड	परती कदीम	
मौजा का नाम	थाना नं०	खाता सं०	दाग नं०	रकवा	किस्म									
जोरागो	138	20	550,570 ,539	6.00+2.00+ 2.00=10.एकड	परती कदीम									

तिथि	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं हस्ताक्षर	कार्यवाही
1	2	3
14-3-17	<p>अभिलेख उपस्थापित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। मौजा के 16 आना रैयत को आपती संबंधी दाखिला का नोटिस कर आदेश हेतु अभिलेख दिनांक.....21-3-17..... को प्रस्तुत करें।</p> <p>लेखापित।</p> <p> 14-3-17 अंचल अधिकारी, मधुपुर।</p> <p> 14-3-17 अंचल अधिकारी, मधुपुर।</p>	

अभिलेख उपस्थापिता पिता हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त सौलह आना रैयत का नोटिश का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपति नहीं की गयी है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित जमीन मौजा- जोरामो थाना नं०- 138 के ज०न०- 20 दाग नं०- 550,570 एवं 539 में परती कदीम कहकर गैरमजूरुआ खाता में दर्ज है। वन प्रमण्डल पदा० देवघर वन प्रमण्डल देवघर के पत्रांक- 1806 दिनांक 12.10.2012 में जिक्र किया गया है कि अपर उपायुक्त, देवघर के पत्रांक- 1160 दिनांक 27.09.2011 के द्वारा स्वीकृति आदेश प्राप्त है कि आलोक में जमीन पुनासी जलाशयाय योजना हेतु क्षतिपुरक गैर वन भूमि मौजा- जोरामो थाना नं०- 138 कुल रकवा- 10.00 एकड़ भूमि नामांतरण हेतु हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा अनुशंसा की गयी है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर मौजा- जोरामो थाना नं०- 138 ज०न०- 20 दाग नं०- 550,570 एवं 539 कुल रकवा- 10.00 एकड़ भूमि नामांतरण राज्य वन विभाग झारखण्ड सरकार के नाम से करने की ..... दी जाती है। अनुशासित लगान- ..... अलावे सेस निर्धारित की जाती है। अभिलेख सहायक को निर्देश दिया जाता है कि शुद्धि पत्र को प्रतियों में हस्ताक्षरार्थ हेतु दिनांक ..... को उपस्थापित करें।

लेखापित।

21.3.17  
अंचल अधिकारी,  
मधुपुर।

21.3.17  
अंचल अधिकारी,  
मधुपुर।

अभिलेख उपस्थापिता शुद्धि पत्र चार प्रतियों में हस्ताक्षरार्थ उपस्थापित। हस्ताक्षरार्थ शुद्धि पत्र राज्य कर्मचारी को एक प्रति हस्तागत करें।

लेखापित।

21.3.17  
अंचल अधिकारी,  
मधुपुर।

21.3.17  
अंचल अधिकारी,  
मधुपुर।

नामान्तरण हेतु शुद्धि-पत्र

अंचल व अनुमंडल-मधुपुर, जिला-देवघर

514/16-17

नामान्तरण वाद संख्या-

क्र० सं०	पंजी - II (दो) में दर्ज मामलों की संख्या एवं वर्ष	मौजा एवं थाना संख्या	आदेश देनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	नामान्तरण का आधार	नामान्तरण जमीन का पूर्ण विवरण	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7
		जोरामा 138	अंचल अधिकारी, मधुपुर।	देवघर/मधुपुर निबंधन-कार्यालय केवाला सं० 1160/270 दिनांक 27-9-11 एवं हल्का कर्मचारी व प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन।	पुराना खाता/शोका संख्या 30 रकवा बी० 600 + 200 = 200-1000 वर्गफीट लगान श्री/श्रीमती अ.स.म.स.स.स.स. (बी.डी) के नाम से दर्ज है। नया खाता संख्या 201A रकवा बी० 10000 वर्गफीट क० धू / वर्गफीट लगान अलावे शेष श्री/श्रीमती रास जग विमल सा1229V5 पित्त/पति सरकाट सा०/मुहल्ला जिला के नाम से अंचल नामान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है। लगान एवं अन्य वसूली योग्य शेष बकाये की तिथि से देय होगा। यह आदेश हल्का कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं सेक्रेटरी के आधार पर दिया जाता है।	6 दाखाना 550, 570, 539 रकवा बी० 600 + 200 = 200-1000 अ.स.म.स.स.स.स. (बी.डी) रकवा बी० 10000 वर्गफीट सा1229V5

शुद्धि पत्र चार प्रतियों में हल्का कर्मचारी, हल्का सं० .....को आदेश दिया जाता है कि वे लगान एवं अन्य वसूली योग्य शेष बकाये की तिथि से वसूली करें तथा इनका अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को शीघ्र लौटायें।



अंचल अधिकारी  
मधुपुर।

18/5/17

मधुपुर उपनिवेश कार्यालय  
कक्षा पाठक 1160/270  
दिनांक 27-9-11